



आरबीटिटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148
(जिला कलेक्टर) टांक

- 1009 -

Handwritten signature/initials

अभिमाणक अप्रधी संख्या 2 ने जवाब प्रदाना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु मैंस ख0न0 104 किस्म यी.म.आबादी में स्थित मकान/मखण्ड वाके ग्राम नजीरपुरा में अवाप की गई है। अवाप मैंस पर निर्माण आदि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अधिकृत खर्च एवं एजेंसी की सर्व रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विभाजिकाधी का विधि के

सिनी गई। प्रकरण एवं रिजिस्टर कर तलवी अप्रधीकरण की गई एवं अवाड पत्रावली तलब की गई। अवाड पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस मुआवजा दिलवाया जावे।

का निरस्त कर मकान/मखण्ड का बजार मूल्य की दर से 5,00,000 रूपये का अधिकारी है। अतः सरकारों मैंस पर स्थित परिसम्पतियों का अवाड दिनांक 27.09.2021 का बजार मूल्य की दर से 5,00,000 रूपये का मुआवजा राशि प्राप्त करने का से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रधी अपनी मैंस पर स्थित मकान/मखण्ड स्थित मकान/मखण्ड का मुआवजा विपक्षीकरण द्वारा गलत निर्धारण कर लीएलसी दर निर्माण में ग्राम नजीरपुरा तहसील उन्धिया की मैंस ख0न0 104 किस्म यी.म.आबादी में प्रदाना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के

दिनांक 06.05.2026

निर्णय

- (1) श्री दीनाराम चौधरी, अभिमाणक प्रधी
- (2) श्री खमबन्द शर्मा, अभिमाणक अप्रधी संख्या-2

प्रदाना पत्र अन्तर्गत धारा 3(वी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

अप्रधीकरण

- 1-सक्षम प्राधिकारी मैंस अवाडि,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन (उपखण्ड अधिकारी)
- उन्धिया जिला टांक राज0
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना डेकडू, नेशनल हाइवे नं0 148 एन सवाडै माधीपुर।

बनाम

खजुराला पत्र समनारायण जाति बूंधवा निवासी नजीरपुरा तहसील उन्धिया जिला टांक राज0

प्रकरण संख्या
प्रतिदि दिनांक
06/2022
07.02.2022

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीटिटर) टांक
(टीना डाबी,आडै0ए0ए0ए0 हारा अस्थासित)



आरबीसी
- 1010 -
राजस्थान संख्या 148
जयपुर (राजस्थान) टांक

प्रार्थी के पास अपने मकान/म्यूचुअल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी
दस्तावेजात (पट्टा) नहीं है। प्रार्थी का मकान/म्यूचुअल पक्का नहीं कर कच्चा है।
आतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिफाई


तहसीलदार (मं.अ.) उनीयारा में अलीगढ जिला टांक के इस्तेमाल है।
सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड अलीगढ जिला टांक व
आई. द्वारा अर्वाइ 35,143/- पारित किया गया है। उक्त Valuation Report पर
INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 35,143/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच.ए.
परिसरपति का Valuation Report of Immovable Property By HORIZON
1 ग्राम नजीरपुरा में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story
से है।

मकान/म्यूचुअल की वेंच्युअरन शीट की सत्यप्रतिनिधि सिजवाइ गई है, जो निम्न प्रकार
पत्र क्रमांक:-एसडीओ/मं.अ.रा./148 एन/330 दिनांक 05.04.2022 से प्रार्थी के
नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्वाइ) एवं उपखण्ड अधिकारी उनीयारा के
5,00,000 रुपये बांटा गया है, परन्तु उक्त द्वारा इंसकी तयद से साक्ष्य-सर्वे प्रस्तुत
गया है। प्रार्थी द्वारा अर्वाइ/मकान/म्यूचुअल का मं.अ.रा. बाजार मूल्य की दर से
अधिकतम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मं.अ.रा. का निर्धारण नियमानुसार किया
गया है। प्रार्थी 104 में स्थित है, किस्म जमीन मं.अ.रा. बांटी बाक ग्राम नजीरपुरा का
राजमार्ग संख्या 148 एन उपखण्ड अधिकारी उनीयारा द्वारा प्रार्थी के मकान/म्यूचुअल
पत्रावली का स्थानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्वाइ अधिकारी सार्वजनिक
जवाब/वहिस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अर्वाइ
इसने वहिस अभिगणक प्रार्थी व अभिगणक अर्वाइ संख्या-2 सीनी।

प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
द्वारा समूह तथ्या की मखानवर रखते हुए अर्वाइ जारी किया है जो उचित है। आतः
अधिकत शी। प्रार्थी की निर्मित संरचनाओं का मं.अ.रा. दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी
विभाग द्वारा समुद्र (वेट) किया गया। जमीन की किस्म मं.अ.रा. बांटी राजस्व रिफाई से
तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण
से पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बैसिक डिजाइनिंग आफ वेट) के आधार पर पर-स्वतंत्र
सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध
आदेश दिया गया साथ ही संबंधित तहसीलदार को उक्त पटवाही एवं निरदाही सहित
आदेश का सर्वे मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का
मं.अ.रा. राशि के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अर्वाइ मं.अ.रा. एवं निर्माण
से कन्स सकार से निहित हो गई। अर्वाइ बांटी भूमि से स्थित संरचनाओं/निर्माण की
गया। धारा 3 डी के अन्तर्गत नॉटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप
भूमि अर्वाइ अधिकारी द्वारा संबंधित विभागाधिकारियों के इंक से अर्वाइ पारित किया
को गई उक्तका विधि के प्रावधानों के अनुसार निरधारण किया जाने के उपरान्त सक्षम
आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, किन्तु-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत
3 ए के अन्तर्गत नॉटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थना को 3 सी के अन्तर्गत
प्रावधानों के अनुसार अर्वाइ पारित किया गया है। अर्वाइ भूमि का अधिकतम की धारा

आर्य समाज के अध्यक्ष (राजस्थान) का
संख्या-148-198 एन
आर्य समाज के अध्यक्ष (राजस्थान) का

(निर्वाहक)
[Handwritten Signature]



निर्वाह आजा दिनांक 06.05.2026 को खूले न्यायालय से सिनाया गया।

मय निर्वाह प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्वादि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 एन
(उपखण्ड अधिकारी) रजिस्ट्रार का प्रेषित किया जावे।